भारत के विद्वान और रचनात्मक समाज के सदस्यों का खुला बयान

हम कलाकार, फिल्म निर्माता, लेखक और विद्वान हैं। हमारा कार्य लोगों के जीवन, संघर्ष और आशाओं को प्रतिबिंबित करता है। हम अपना सपना लोगों के सामने पेश करते हैं। लेकिन वर्तमान दुःस्वप्न के बीच क्या सपना हमें रास्ता दिखा सकता है?

इस राष्ट्र के लिए हमारी आत्मा कहती है कि अब हम अपने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए बोलें।

हम उन छात्रों और अन्य लोगों के साथ दृढ़ता और एकजुटता से खड़े हैं जो नागरिकता संशोधित क़ानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। विविध समाज का वादा करने वाले भारत के संविधान के सिद्धांतों को बरक़रार रखने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले लोगों को हम सलाम करते हैं। हम जानते हैं कि हम हमेशा इन वादे पर खरे नहीं उतरे हैं और हम में से कई लोग अक्सर इस अन्याय के सामने चुप भी रहे हैं। अब समय की मांग है कि हम में से हर कोई अपने सिद्धांतों के लिए खड़े हों।

वर्तमान सरकार की नीतियां और कार्यवाही सार्वजनिक चर्चा या खुली चर्चा के बिना संसद के माध्यम से शीघ्रता से पारित हो गई। ये नीतियां और कार्य एक धर्मनिरपेक्ष व समावेशी राष्ट्र के सिद्धांत के विपरीत है।

राष्ट्र की आत्मा को ख़तरा है। हमारे लाखों भारतीय साथियों की आजीविका और नागरिकता दांव पर हैं। एनआरसी के तहत कोई भी व्यक्ति अगर अपनी वंशावली को साबित करने वाले दस्तावेज़ (जो कई मामलों में, मौजूद नहीं है) को प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है तो उसे राज्यविहीन घोषित किया जा सकता है। मुस्लिम को छोड़ कर वे लोग जो एनआरसी में "अवैध" हो गए वे सीएए के तहत नागरिकता के पात्र हो सकते हैं।

सरकार के घोषित उद्देश्य के विपरीत यह अनुकूल विधान प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इसमें केवल उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को शरण देने का प्रावधान है। बाहर होने वालों की सूची कुछ और संकेत देती है। श्रीलंका, चीन और म्यांमार जैसे अन्य पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को क्यों बाहर रखा गया है? ऐसा इसलिए क्योंकि इन देशों में सत्ता की शक्तियां मुस्लिम के पास नहीं हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि विधान मानता है कि केवल मुस्लिम सरकारें ही धार्मिक उत्पीड़न का दोषी हो सकती हैं। म्यांमार के रोहिंग्या या चीन के उइगर जो इस क्षेत्र के सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित अल्पसंख्यक हैं उन्हें बाहर क्यों रखा गया? यह विधान मुस्लिम पीड़ित को नहीं बल्कि केवल मुस्लिम अपराधियों को स्वीकार करता है। उद्देश्य स्पष्ट है कि मुस्लिम नापसंद है।

यह राज्य द्वारा स्वीकृत धार्मिक उत्पीड़न है और हम इसकी अनदेखी नहीं करेंगे।

असम और पूर्वोत्तर तथा कश्मीर में स्थानीय पहचान और आजीविका ख़तरे में है जो पहले कभी नहीं हुआ और हम इसकी अनदेखी नहीं करेंगे।

अपने नागरिकों के परेशानियों के प्रति सरकार और क़ानून-प्रवर्तन एजेंसियों का रुख़ संवेदनाहीन और कठोर रहा है।दुनिया के किसी भी लोकतंत्र की तुलना में भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। पुलिस की बर्बरता ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों सहित सैकड़ों लोगों को ज़ख्मी किया है। विरोध-प्रदर्शन करते हुए कई नागरिकों को मार दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज़ से कई अन्य लोगों को हिरासत में रखा गया है। विरोध- प्रदर्शन को दबाने के लिए कई राज्यों में धारा 144 लगाई गई है।

हमें अब कश्मीर से इतर यह देखने की ज़रूरत नहीं है कि यह सरकार लोकतांत्रिक असंतोष को दबाने के लिए कितना और कुछ करने को तैयार है। लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था शुरू होने के बाद से भारत अधिकृत कश्मीर अब तक के सबसे लंबे इंटरनेट बंद की मार झेल रहा है।

अब बहुत हो गया है।

हममें से जो लोग पहले चुप रहे हैं उनकी ख़ामोशी अब ख़त्म हो रही है। हम अपनी असहमति को लेकर मुखर रहेंगे। अपने स्वतंत्रता सेनानियों की तरह हम भारत के समावेशी दृष्टि और धर्मनिरपेक्ष के लिए खड़े हैं। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो मुस्लिम-विरोधी और विभाजनकारी नीतियों का बहादुरी से विरोध करते हैं। हम हर मोड़ और अपने सभी मंचों पर आपके साथ रहेंगे। हम सभी एक साथ हैं।